

विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जाति पहचान प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र

जनाधार कार्ड संख्या—

1. प्रार्थी का नाम*

2. आवेदक के पिता का नाम*

3. आवेदक की माता का नाम*

4. माता-पिता का नाम ज्ञात नहीं होने की स्थिति में संरक्षक का नाम

5. निवास स्थान का पूर्ण पता*

(क) अस्थाई पता :-

(ख) स्थाई पता :-

6. गाँव/शहर*

तहसील*

जिला*

राज्य*

7. क्या आप/आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी है*

☐

हाँ

☐

नहीं

यदि नहीं है तो आवेदक का मूल राज्य

जिला.....

तहसील.....

पता.....

8. जन्म दिनांक

जन्म स्थान

उम्र

9. लिंग*

☐

पुरुष

☐

महिला

10. आवेदक की जाति.....

11. मोबाइल नम्बर

(जिस पर प्रार्थी आवेदन से सम्बन्धित एस.एम.एस. द्वारा

सूचना चाहता है)

12. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विशिष्टियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं कि मैं समाज कल्याण विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक 1(एफ) (2)एस डब्लू / 63 दिनांक 24.02.1964 के अनुसार विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियों में सूचीबद्ध जाति से हूँ। यदि मेरे द्वारा किसी भी सूचना के मिथ्या एवं गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर मेरे विरुद्ध विधिसम्मत कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक

स्थान—

आवेदक के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार जिला राजस्थान

फोटो

क्रमांक.....

दिनांक

विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जाति पहचान प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि

1. श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पुत्री (पिता का नाम)
..... पुत्र/पुत्री (माता का नाम) राजस्थान
राज्य के जिला में ग्राम/नगर
का/की निवासी है तथा ये/और या इनका कुटुम्ब यहां स्थाई / अस्थायी रूप से निवास
करता/करती है।
2. उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी समाज कल्याण
विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक 1(एफ) (2)एस डब्लू / 63 दिनांक 24.02.1964 के
अनुसार सूचीबद्ध राजस्थान राज्य के विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियों की सूची में
सम्मिलित वर्गों में से जाति वर्ग (विमुक्त, घुमन्तु एवं
अर्द्धघुमन्तु में से कोई एक) का/की सदस्य है।

तहसीलदार का नाम व हस्ताक्षर
कार्यालय की मोहर/सील सहित

*(उक्त प्रमाण पत्र भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा उक्त वर्ग के लिए संचालित विभिन्न
कल्याणकारी योजनाओं के लिये मान्य है)